तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 1519 / 2006 / भरतपुर सरकार बनाम हुक्मी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री जानी सिंह, उप राजकीय अभिभाषक
श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 की ओर से

दिनांक– 05–08–2025

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 व 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 20–12–2001 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

उप राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं.2 की ओर से श्री दिनेश कुमार की बहस सुनी गई।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार भरतपुर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 व 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 604 / 1–07, 605 / 1–13 किता–2 रकबा 3–00 वाके कस्बा भरतपुर चक नं.2 से संबंधित दा.खा. 699 बहक अप्रार्थी सं.1 रिकार्ड में किये गये इन्द्राज एवं स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या में अनियमताएं दर्शाते हुए नोटिस जारी किये गये। विवादित आराजी को नियमानुसार किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन नहीं किया गया है तथापि अर्जुन वल्द पीरू उर्फ गिरवर कौम माली सा. कटरा नमक को एवं अप्रार्थी सं.1 को बमिल्लत राजस्व रिकार्ड में पटटेदार साल एक दर्ज करा लिया गया है। उनका यह भी कथन है कि अवैध एवं आधारहीन इन्द्राज पटटेदार साल एक के आधार पर जरिये नामा0 सं. 699 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी तहसीलदार भरतपुर द्वारा विवादित आराजी की अप्रार्थी सं.1 को प्रदान की गई जबकि धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार को खातेदारी प्रदान करने के अधिकार नहीं है तथा अस्थाई काश्त / पटटे पर दी गई भूमि पर धारा 15 के तहत खातेदारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 1519 / 2006 / भरतपुर सरकार बनाम हुक्मी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिया जाना वर्जित है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 699 अवैधानिक क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं.2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश कर निवेदन किया था कि प्रश्नगत भूमि का एक वर्ष की अवधि तथा पटटे पर दी गई थी, अवधि समाप्त होने पर पुनः वापस हो गई है। उसके बाद अवधि में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि न्यास योजना संख्या 2 के सेक्टर नम्बर 3/4 के लिए अवाप्त की गई है। जिसका एर्वाड भी दिनांक 17—01—1994/ दिनांक 24—11—1993 को पारित हो चुकी है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी सं.2 के कोई अधिकार नहीं बनते है। जिला कलक्टर द्वारा जो रेफरेन्स बनाकर प्रस्तुत किया गया है, वह स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया विवादित आराजीयात पर अर्जुन वल्द पीरू उर्फ गिरवर एवं हुक्मी पुत्र अर्जुन के हक में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज एवं इन्द्राज के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 699 निरस्त किया जाकर उक्त आराजी को पुनः राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य